16/00012

Reader - 1

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11/2016

प्रार्थी/अपीलार्थी :–
श्री अर्जुन पिता श्री नाथु सोलंकी
जाति पटेल निवासी बोरवट, तहसील
व जिला बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय–बी 59, बापु नगर, पश्चिम रोड़ नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ (राज.)।
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।
3. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित,
–अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :– 08–12–20173

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य की आवासीय भूमि सर्वे नंबर 618/204/1 कुल क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बोरवट में स्थित है, जिस पर प्रार्थी का क्रय दिनांक 08–10–2004 से आधिपत्य होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा हैं। उक्त

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

भूमि आवासीय भूमि स्व. श्री रूपा भील ने राजस्थान भू–राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन नियम, 1992 के नियम 8(2) एवं 8 (3) के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक एफ राज/ 2002/80–83 दिनांक 23–01–2002 से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हुई है। जिसकी प्रिमियम राशि राज्य सरकार के कोष में जरिये रसीद संख्या 00015/2677 दिनांक 10–01–2002 के द्वारा जमा करवाई है। उक्त आबादी भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 02–03–2002 से जमाबंदी सम्वत् 2050–53 में हो गया है तथा उक्त आवासीय भूमि 2430 वर्गफीट को श्री रूपा पिता हीरजी के वारिसान गौतम, विठला, भारता, श्रीमती नीमा एवं श्रीमती सुन्दर के द्वारा प्रार्थी को दिनांक 08–10–2004 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी है। उक्त भूमि को प्रार्थी कृषि संसाधन एवं फसलें रखने के लिए बाड़े के रूप में उपयोग कर रहा है, तथा भूमि पर प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का आधिपत्य नही है। वादग्रस्त सर्वे नम्बर 618/204/1 की आवासीय भूमि कुल क्षेत्रफल 2430 वर्गमीटर याने 1 बीघा 10 भूमि के संबंध में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के द्वारा अवाप्ति अधिसूचना प्रकाशित संख्या 20151 दिनांक 29–07–2013 के द्वारा आम सूचना धारा 3 (जी) के द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (ए) की अधिसूचना का भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 को एवं धारा 3 (डी) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03–10–2013 को किया जाकर ग्राम बोरवट तहसील बांसवाड़ा की निजी आवासीय भूमि को प्रतापगढ से पाड़ी सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु अवाप्त की जाकर कब्जा लिये जाने के लिए प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये हैं। प्रार्थीया को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात लिखित में अपनी आपत्तियां पेश कर भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को मौके की स्थितियों व परिस्थितियों से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत आवासीय भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का उचित मूल्य का निर्धारण नहीं कर मनमर्जी से सरकारी राजस्थान सरकार के

नाम अवार्ड जारी कर दिया है तथा प्रार्थी को अवाप्तशुदा आवासीय भूमि का किसी प्रकार का कोई अवार्ड / मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त आवासीय भूमि कुल क्षेत्रफल में से 0.063 हैक्टर श्री सरकार आबादी अंकित कर राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के लिए प्रार्थी की सहमति /जानकारी के बिना अवाप्त कर दी। प्रार्थी के नाम अवार्ड राशि पारित नहीं की गई। अवाप्तशुदा आवासीय भूमि के संबंध में अवार्ड राशि प्रार्थी को प्रदान नहीं करने से प्रार्थीया द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु कोई सुनवाई नहीं होने के कारण जिला कलक्टर को भी आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की आवासीय भूमि सर्वे नम्बर 618/204 /1 की अवाप्तशुदा आवासीय भूमि क्षेत्रफल 0.063 हैक्टर की अवार्ड राशि श्री राजस्थान सरकार के नाम पारित कर दी, जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण, मनमाना एवं प्रश्नगत भूमि के मौके पर स्थित परिसम्पत्तियों का उचित आंकलन किये बिना जारी होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से प्रतिकर राशि का पुनः निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि एवं परिसम्पत्तियों की स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता है एवं प्रार्थी इस न्यायालय द्वारा अवार्ड का पुनः अवधारणा करना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :-

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	आवासीय भूमि 0.063 हैक्टर	6534000
2	100 % तोषण (सोलेशियम)	6534000
	योग	13068000

उक्तानुसार राशि रूपया 130.68 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन

किया। प्रार्थीया को समय पर नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाया, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 130.68 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नोटिस की प्राप्ति के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही प्रकरण में पैरवी की गई तथा अप्रार्थी संख्या 4 को जारी नोटिस की पुश्त पर प्रकरण उनसे सम्बन्धित नहीं होने के उल्लेख के साथ अमद तामील प्राप्त होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार एलाईमेंट के अनुसार प्रार्थी की भूमि अवाप्त नही हो रही है। भारत सरकार का राजपत्र –सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना जारी की गई, ग्राम बोरवट के उक्त खसरा नम्बर 618/ 204/1 में से 0.063 हैक्टर भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है। श्री सरकार आबादी भूमि का कृषि भूमि की डीएलसी दर से 232764/– रू0 का अवार्ड पारित हुआ है। मौके पर भूमि अवाप्त नहीं होने एवं श्री सरकार भूमि का अवार्ड पारित होने से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तहसीलदार, बांसवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर आवेदक की 0.063 हैक्टर भूमि अवाप्त नहीं हो रही है।

दिनांक 08–12–2017 को प्रार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया। आवासीय भूमि की किमत एवं इतनी ही राशि का 100% तोषण (सोलेशियम) एवं उस पर

अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखो एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि इस परियोजना में अवाप्त नहीं हो रही है। इस लिए प्रार्थी किसी प्रकार की प्रतिकर राशि पाने का अधिकारी नही है

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा